

342


21/05/19

द्वयम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

मजबूत व दारीक  
अनुवाद को तब  
द्वय की दारीक  
व दारी द्वय


20/02/19

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकील  
उपस्थित। आज समय चला गया। मिसल  
आइन्दा तारीख 01/05/19 को वास्ते  
पूर्व अदेश की पालना में पेश हो

  
उपखण्ड अधिकारी  
पुष्कर (अजमेर)

01/05/19

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपर। पत्रावली  
आइन्दा दिनांक वास्ते जयाप देव 31/07/19 को  
पेश है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
पुष्कर (अजमेर)

03/07/19

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपर। पत्रावली  
वास्ते जयाप देव दिनांक 21/08/19 को पेश है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
पुष्कर (अजमेर)


21/8/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वरिष्ठ उपस्थित।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
प्रतिवादी सं 2 की तारीख 21/7/19  
को पूर्ण लोक आयी। प्रतिवादी सं 2 की  
ओर से आदिनांक तक कोई से कोई  
अस्थित नहीं। प्रतिवादी सं. 2 के  
विरुद्ध स्वपक्षीय कायवाही अमल  
में लाई जाती है। प्रतिवादी सं. 1  
तत्कालीन तहसीलदार / उप पंजीयक  
पुष्कर, अजमेर का स्थान-तरंग  
हो जाने के फलस्वरूप उनके

कार्य  
क्रम

दृश्य वा कार्यवाही सब इतिविषय सब

खिलाफ अवमानना याचिका  
अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 (ख)  
CPC प्रभावहीन हो जाने के  
कारण पत्रावली खारिज करवाई  
जाती है। पत्रावली फेसल शुभार  
होकर नम्बर से कम है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
पुष्कर (अजमेर)